

संयुक्त प्रमुख अभियन्ता  
(सिंचाई-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या-जी-1366/आई0बी0/22ए-108बी/बजट-84/सिंचाई/बजट/4711/2017-18

लखनऊ दिनांक मार्च 2, 2018

कार्यालय ड्राप

शासनादेश संख्या-104/2018/544/संसाधन-सि-2/अ-157 बजट/2018-17, दि0-20.03.2018 द्वारा एक अर्बद चालू परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक-4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय में नाबाढ़ पोषित मरु के अन्तर्गत एकमुश्त (चालू) बजट व्यवस्था में से रु 800.00 लाख (रु आठ करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

अतः शासन से उक्तानुसार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने से कलस्वरूप सिंचाई विभाग के निम्नांकित मुख्य अभियन्ता को उक्त धनराशि सम्बन्धित परियोजना पर व्यय किये जाने हेतु निम्नानुसार धनअवंटन/प्राधिकृत किया जाता है :-

(धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0<br>सि0 | लेखाशीर्षक एवं योजना का नाम  | मुख्य अभियन्ता<br>संगठन | आवंटित<br>धनराशि |
|-------------|--|-------------------------|------------------|
| 1           | 2  | 3                       | 4                |
|             | अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा<br>4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय<br>01-बाढ़ नियंत्रण<br>103-सिविल निर्माण कार्य<br>23-नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनाएं (नाबाढ़ पोषित)<br>24-वृहत निर्माण कार्य   |                         |                  |
| 1           | जनपद राजीपुर में तहसील एवं विकास खण्ड जमनिंदी में गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम समूह बड़ेसर, चन्दौली सम्पर्क मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सज-24 के बाढ़ से सुरक्षा हेतु परियोजना।<br>(Project estimate for protection work between K.M 1.150 to K.M 2.350 at right bank of river Ganga in Zamania dist. Ghazipur (UP))<br>(Latitude:-25°23'55"N, Longitude:-83°33'10"E) | सोन, वाराणसी।           | 800.00           |

(रु आठ करोड़ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा उक्त शासनादेश दिनांक-20.03.2018 में उल्लिखित हर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जा रहा है। आवंटन आदेशों में शासनादेश दिनांक-20.03.2018 के प्रस्तर-3 के बिन्दु-1 से 27 तक अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परियोजना पर धनराशि का व्यय, आवंटित धनराशि की सीमा के अन्दर रखा जाए तथा किसी प्रकार की देनदारी सृजित न की जाये।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग

संख्या-जी-1366 (1)/आई0बी0/तददिनांक - 21-03-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (विन्यायचल) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. मुख्य अभियन्ता (अनुसंधान एवं नियोजन/अनुश्रवण एवं मूल्यांकन/सूचना प्रणाली संगठन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई, उ0प्र0, वाराणसी को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
7. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश छायाप्रति सहित।
8. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़) मण्डल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (बजट), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की छायाप्रति सहित।
10. प्रशासनिक अधिकारी (बजट)/कट फाईल हेतु।

(अजय कुमार त्रिवेदी)  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।